न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 437/2023

अपीलांट्स	रेस्पोडेन्ट्स
1. हमीराराम पुत्र समरथाराम 2. राणाराम पुत्र हरजीराम 3. टीलुराम पुत्र समरथाराम 4. मदाराम पुत्र समरथाराम 5. आसुराम पुत्र हमीराराम 6. मोबताराम पुत्र आसुराम 7. कमलाराम पुत्र टीलुराम 8. समजुराम पत्नी पेमाराम 9. भारूराम पुत्र मदाराम 10. गुलाबाराम पुत्र हमीराराम 11. लालाराम पुत्र टीलुराम 12. जेताराम पुत्र मदाराम 13. सगताराम पुत्र टीलुराम (जाति भील, निवासी रावत का गांव, तहसील शिव, जिला बाडमेर)	1. राज0 राज्य जिला कलेक्टर बाडमेर 2. ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव, जरिये सरपंच

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर क्रमांकः प.12(3)(18)राज/08/3871 दिनांक 19.05.2008

उपस्थित–
1. श्री मोहनलाल खत्री, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1
3. श्री सन्नी शर्मा वकील रेस्पो0 सं0 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 13.06.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाट्स ने जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गॉव को आबादी विस्तार हेतु ग्राम रावत का गॉव के खसरा नं0 40 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै0मु0 मगरा में से 5 बीघा भूमि आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार शिव के पत्रांकः राजस्व/2008/136 दिनांक 04.02.2008 के द्वारा तहसील शिव स्थित ग्राम रावत का गॉव के खसरा नं0 40 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै0मु0मगरा में से 5 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव को आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा दिनांक 27.12.2007 को प्रस्ताव संख्या 5 पारित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

उक्त प्रस्ताव ग्राम रावत का गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मकान वर्ष 2006 में बाढ के कारण गिर जाने से उनका खसरा नं0 40 के रकबा 5 बीघा में पुनर्वास करने के कारण सरपंच ग्रा0पं0 हाथीसिंह की ढाणी द्वारा आबादी विस्तार की मांग पर तहसीलदार शिव ने जिला कलेक्टर बाडमेर को भूमि आवंटन हेतु प्रेषित किया गया।

जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर के पत्रांकः प.2(247)/राज/ग्रुप–3/08 दिनांक – के क्रम में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.6(17)/राज/ग्रुप–4/11 दिनांक 6.12.88 के तहत ग्राम रावत का गॉव के खसरा नं0 40 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै0मु0 मगरा में से रकबा 5 बीघा भूमि की किस्म खारिज करते हुए ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गॉव को आबादी विस्तार हेतु निशुल्क आवंटित की गई। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार किये जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव की मांग अनुसार ग्राम रावत का गांव के खसरा नं0 40 रकबा 21.13 बीघा भूमि, किस्म गै0मु0 मगरा में से 5 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु तहसीलदार शिव ने जिला कलेक्टर बाडमेर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रस्तावित भूमि पर वर्ष 2006 में बाढ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 17 परिवारों को बसाया गया था। तहसीलदार शिव के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त भूमि ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव को इस शर्त के साथ निशुल्क आवंटित की गई, कि ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव बाढ एवं अतिवृष्टि पीडित परिवारों को प्राथमिकता देते हुए पंचायत अधिनियम में निर्धारित प्रकिया एवं नियमानुसार भूमि का निस्तारण करेगी''। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 158 दिनांक 20.6.08 ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव के नाम दर्ज की गई, परंतु तत्समय लट्ठा ट्रेस में आवंटित भूमि की तरमीम नही की गई तथा वर्तमान तरमीम प्रस्तावित भूमि से अन्यत्र कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन आदेश विधिनुसार दूषित हो जाने से अपीलाधीन आदेश की पालना में की गई तरमीम निरस्त किए जाने योग्य है। इसकी जानकारी अपीलांट्स का पटटे प्राप्त करने की कार्यवाही के दौरान होने पर उनके द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष तरमीम शुद्धि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी जांच में हल्का पटवारी की मौका फर्द दिनांक 8.6.19 मय नक्शा में तरमीम गलत होने का अंकन कर, तरमीम शुद्धि करने का निवेदन किया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर, भूमि आंवटन आदेश की पालना में की गई तरमीम निरस्त कर परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शायी गई भूमि (जहां पीडित परिवार अपीलांट्स) बसे हुए है, वहां तरमीम करवाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर का अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश तहसीलदार शिव से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण में शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर के पत्र कमांकः प.2(247)/राज/ग्रुप–3/08 दिनांक –के कम में राजस्व विभाग के परिपत्र कमांकः प.6(17)/राज/ग्रुप–4/11 दिनांक 6.12.88 के तहत ग्राम रावत का गॉव के खसरा नं0 40 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै0मु0 मगरा में से रकबा 5 बीघा भूमि की किस्म खारिज करते हुए ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गॉव को आबादी विस्तार हेतु निशुल्क आवंटित की गई।

उक्त भूमि सरपंच ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव की मांग पर ग्राम रावत का गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मकान वर्ष 2006 में बाढ के कारण गिर जाने से उनको खसरा नं0 40 के रकबा 5 बीघा में पुनर्वास कराने के कारण आबादी विस्तार हेतु नियमानुसार आवंटित की गई है। जिसके लिए ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा दिनांक 27.12.2007 को प्रस्ताव संख्या 5 पारित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। आवंटन आदेश की पालना में उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 158 दिनांक 20.6.08 ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव के नाम दर्ज हो गई। अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के आवंटन आदेश के विरूद्ध, आवंटित भूमि की तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत की गई है, जो उक्त अपील के माध्यम से वांछित नही है। अतः आवंटन आदेश विधिसम्मत एवं त्रुटी रहित होने से अपील अपीलांट्स खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके सलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर के पत्र कमांकः प.2(247)/राज/ग्रुप–3/08 दिनांक – के कम में राजस्व विभाग के परिपत्र कमांकः प.6 (17)/राज/ग्रुप–4/11 दिनांक 6.12.88 के तहत ग्राम रावत का गॉव के खसरा नं0 40 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै0मु0 मगरा में से रकबा 5 बीघा भूमि की किस्म खारिज करते हुए ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गॉव को आबादी विस्तार हेतु निशुल्क आवंटित की गई। जो विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के आवंटन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश के विरूद्ध, आवंटित भूमि की तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत की गई है, जो उक्त अपील के माध्यम से वांछित नही है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिमाण स्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन व आधारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश कमांक 3871 दिनांक 19.05.2008 विधिसम्मत होने से यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

13.06.

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर